



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र./अका./2020/ 4901

भोपाल, दिनांक 20.08.2020

संशोधित अधिसूचना

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 770/2020/3873 भोपाल दिनांक 13-08-2020 के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से संबंधित सभी प्रक्रियाएँ mponline Student Information System Link (SIS Link) के माध्यम से सम्पन्न की जाएंगी।

विश्वविद्यालय परिसरों के तथा संबद्ध अध्ययन संस्थाओं में अध्ययनरत एवं पंजीकृत सभी स्नातक तथा स्नातकोत्तर के परीक्षार्थियों को mcrpv.mponline.gov.in के पोर्टल पर Student Information System Link (SIS Link) में जाकर तत्काल 20 रूपये का शुल्क जमा कर दिनांक 25-08-2020 तक रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। जो छात्र/छात्राएं रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे वे परीक्षा संबंधी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पायेंगे।

टीप :- जो पूर्व छात्र/छात्राएं Student Information System Link (SIS Link) में पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं ऐसे छात्र/छात्राओं को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है।

(वरिष्ठ स्तर से अनुमोदित)

आदेशानुसार

(प्रो. डॉ. अविनाश वाजपेयी)

कुलसचिव

पृ. क्र./अका./2020/ 4902

भोपाल, दिनांक 20.08.2020

प्रतिलिपि :-

- 1- निज सचिव, कुलपति/निज सहायक कुलाधिसचिव, कुलसचिव को सूचनार्थ।
- 2- समस्त विभागाध्यक्षगण/परिसर प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि आपके विभाग/परिसर में अधससनरत नियमित स्नातक एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को दिये गये लिंक पर रजिस्ट्रेशन कराने हेतु सूचित करें ताकि परीक्षार्थी परीक्षा से बंचित ना हों।
- 3- निदेशक, संबद्ध अध्ययन संस्थाएं के माध्यम से संबद्ध अध्ययन संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दिये गये लिंक पर रजिस्ट्रेशन कराने हेतु सूचनार्थ।
- 4- परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 5- प्रभारी वेबसाइट संधारण को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
- 6- आदेश पुस्तिका।

(प्रो. डॉ. अविनाश वाजपेयी)

कुलसचिव